9. अनापत्ति प्रमााण पत्र (No Objection Certificate)

9.1 परिचय (Introduction)

राज्य सरकार के नियमानुसार कार्मिक के द्वारा नियोक्ता से पासपोर्ट, विदेश यात्रा, प्रतियोगी परीक्षाए आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। राज–काज एप्लीकेशन के एनओसी मॉड्यूल के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सुविधा उपलब्ध की गई है। राजकाज के माध्यम से निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सुविधा उपलब्ध है:–

- पासपोर्ट बनवाने हेतु
- विदेश यात्रा पर जाने हेतु
- प्रतियोगी परीक्षा हेतु
- उच्च शिक्षा हेतु
- कार्यमुक्ति हेतु

9.2 NOC के लिए पूर्व–अपेक्षाएं (Pre-requisites)

अधिकारी/कर्मचारी की राजकाज एप्लीकेशन में पद एवं कार्यालय की सही मैपिंग होना आवश्यक है।

- आवेदनकर्ता (Applicant):- राजकीय सेवा के कार्मिक।
- सत्यापनकर्ता/स्वीकृतकर्ता (Verifier/Approver):- राज्य सेवा के कार्मिक जिनके द्वारा आवेदन का सत्यापन/स्वीकृत किया जाता है।
- संस्थापन शाखा (Mark to):- संस्थापन शाखा के कार्मिक।

9.3 NOC के अनुक्रम निर्धारण की प्रक्रिया

किसी भी विभाग में ऑनलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए अनुक्रम का निर्धारण किये जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा ही निर्धारित की जायेगी कि विभाग अनुक्रम के निर्धारण का अधिकार संस्थापन शााखा/सम्बंधित कार्मिक को प्रदान करता है। प्रत्येक अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रकार (Type of NOC) के लिये अलग–अलग अनुक्रम निधारित किये जाने की आवश्यकता है।

1. संस्थापन शाखा द्वारा

   Path:- Others >> Manage Hierarchy –Establishment

2. आवेदक के स्वयं के द्वारा अनुक्रम निर्धारण

   Path: - Others >> Manage Hierarchy –Self

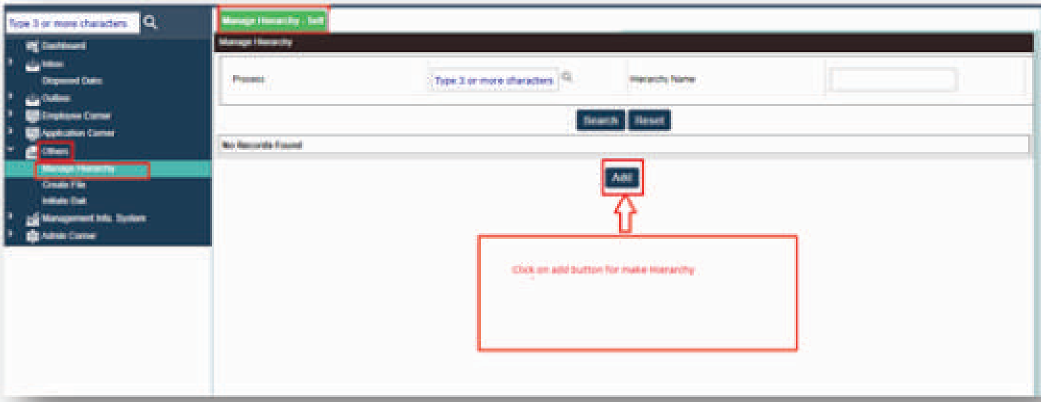

Add बटन पर क्लिक कर अनुक्रम बनाए और सम्बंधित विकल्पो का चयन करे।

- Process ऑप्शन में से जिस अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन करना है उसका चयन करें।
- सत्यापनकर्ता/स्वीकृतकर्ता (Verifier/Approver) :– सत्यापनकर्ता/स्वीकृतकर्ता के द्वारा आवेदक के अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन को आगे फारवर्ड/स्वीकृत किया जाता है।
- संस्थापन शाखा (Mark to) :– संस्थापन शाखा के कार्मिक के द्वारा भी उनको आवंटित कार्मिकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अनुक्रम का निर्धारण किया जा सकता है तथा सत्यापनकर्ता / स्वीकृतकर्ता के द्वारा स्वीकृति उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र के आदेश जारी किये जाते है।

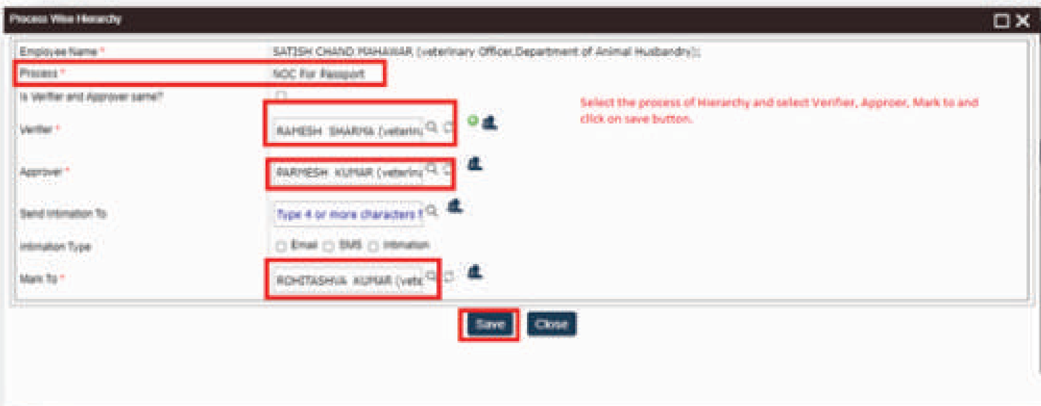

9.4 अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया

- अनुक्रम निर्धारण के पश्चात ही आवेदनकर्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन निम्नानुसार कर सकता है :–

Path: - Employee Corner >> NOC >> Apply for NOC

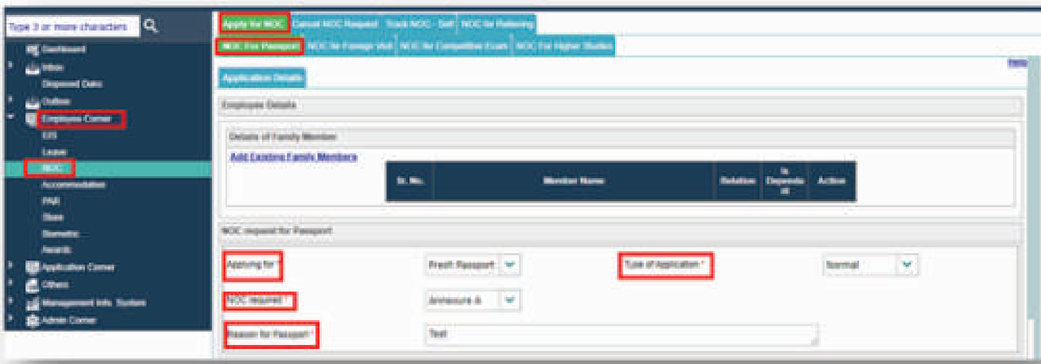

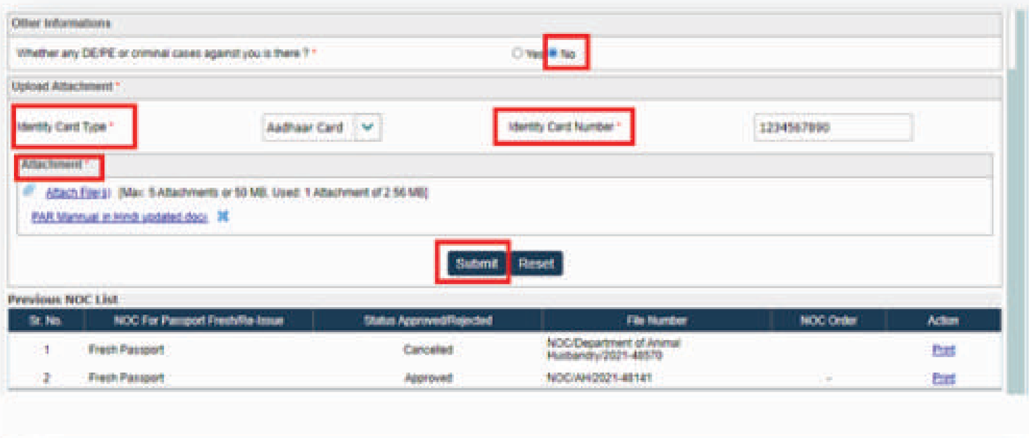

उपरोक्त स्क्रीनानुसार सभी विवरण की पूर्ति कर सबमिट बटन पर क्लिक करने पर NOC के लिए आवेदन हो जायेगा तथा अनुक्रम में सत्यापन/स्वीकृति हेतु अग्रेषित हो जायेगी

सत्यापनकर्ता/स्वीकृतकर्ता :– आवेदन की गई NOC सत्यापनकर्ता के Inbox मे प्राप्त होगी। जिसके File No. (Hyperlink) पर क्लिक कर सत्यापनकर्ता/स्वीकृतकर्ता नियमानुसार उचित कार्यवाही कर सकते है। सुलभ सन्दर्भ के लिए नीचे स्क्रीनशॉट उपलब्ध है। आवेदन में त्रुटि / कमी होने की स्थिति में आवेदक को वापस भेज सकते है। सत्यापनकर्ता/स्वीकृतकर्ता को निम्नानुसार स्क्रीन Inbox में दिखाई देती है।

Path: Inbox >> NOC >> All Received

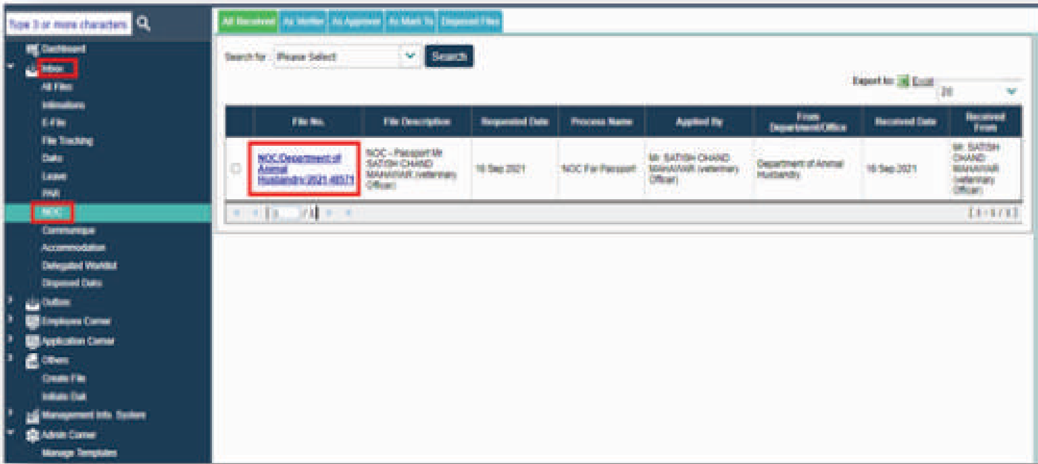
Search for
Please Select
Search
File No.
File Description
Requested Date
Process Name
Applied By
Received Date
NOC

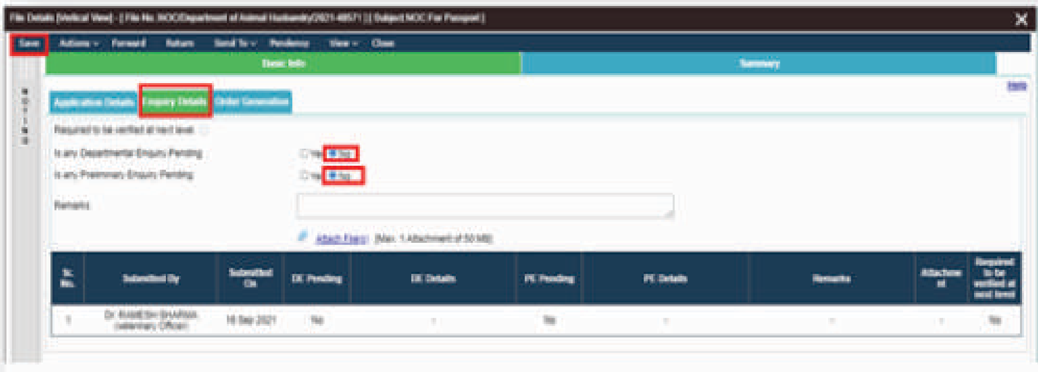
Save
Forward
Return
Close
Basic Info
Summary
Application Details
Enquiry Details
Order Generation
Remarks

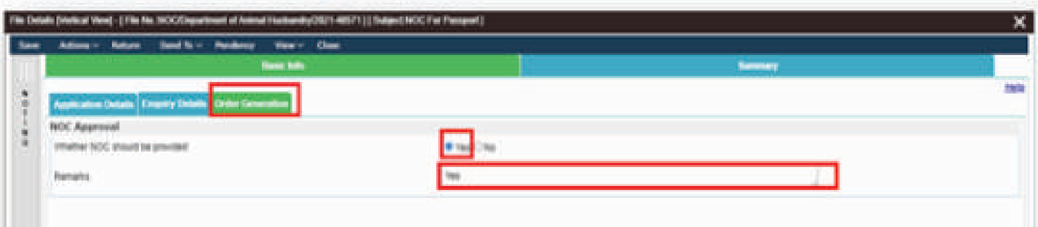
Save
Return
Close
Basic Info
Summary
Application Details
Enquiry Details
Order Generation
NOC Approval
Remarks

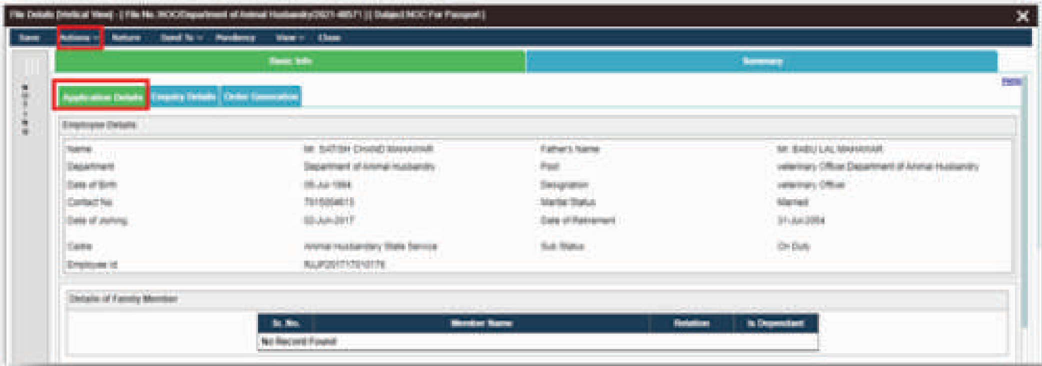

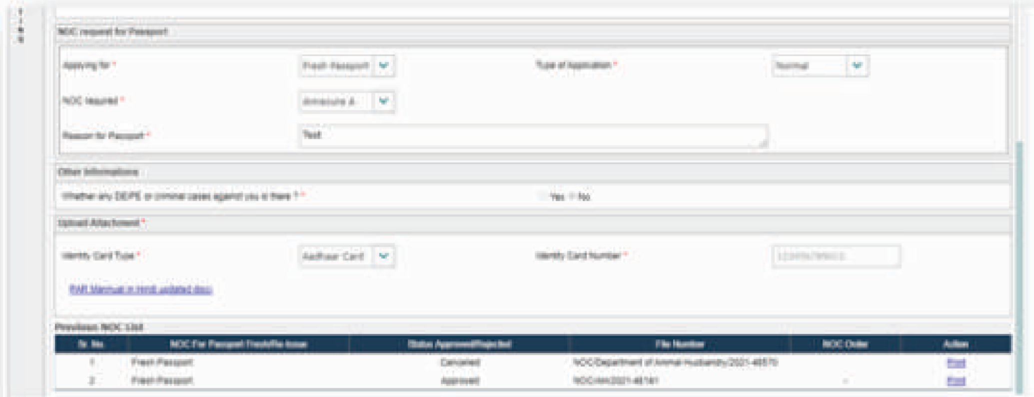

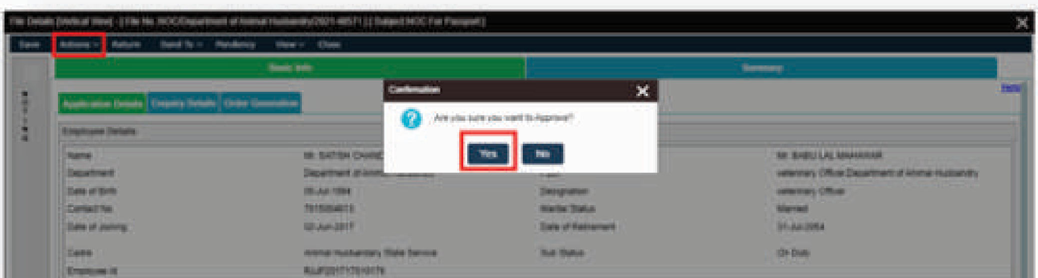

संस्थापन शाखा (Mark to) :– स्वीकृत की गई NOC संस्थापन शाखा के Inbox मे प्राप्त होगी। जिसके File No. (Hyperlink) पर क्लिक कर संस्थापन शाखा नियमानुसार उचित कार्यवाही कर सकते है। सुलभ सन्दर्भ के लिए actionable स्क्रीनशॉट नीचे उपलब्ध है। संस्थापन शाखा निम्नानुसार विकल्पो के माध्यम से वांछित फाईल तक पहुँच सकते है।

Path: Inbox >> NOC >> All Received

संस्थापन शाखा के कार्मिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र के आदेश हस्ताक्षर के लिए तीन विकल्प प्राप्त होते है DSC, E-sign & Without E-sign। Esign-Aadhar Based Authentication है। जिसमे आधार नम्बर enter करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त होगा। OTP सबमिट करने पर E-sign की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तत्पश्चात् आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र के आदेश को डाउनलोड कर सकते है।

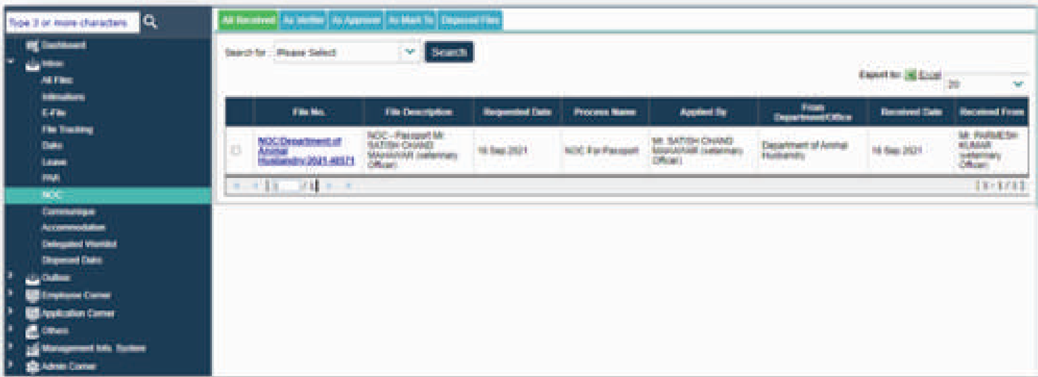

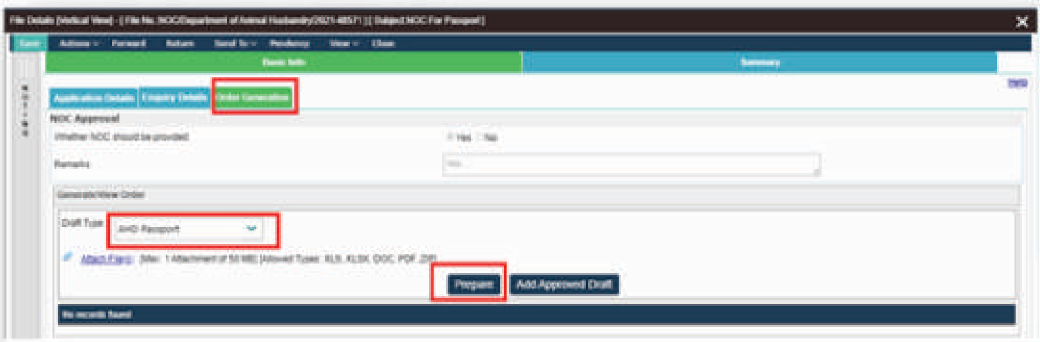

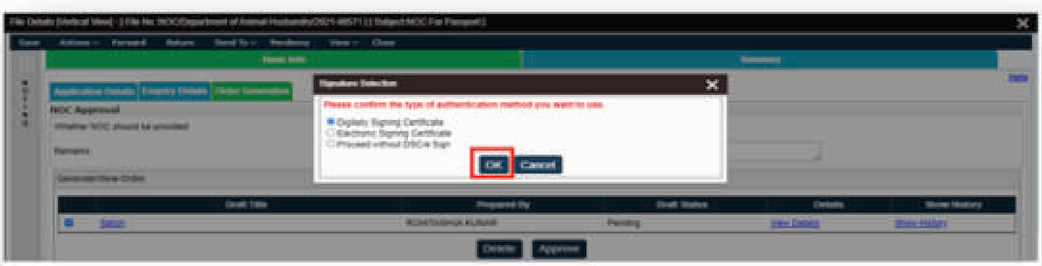

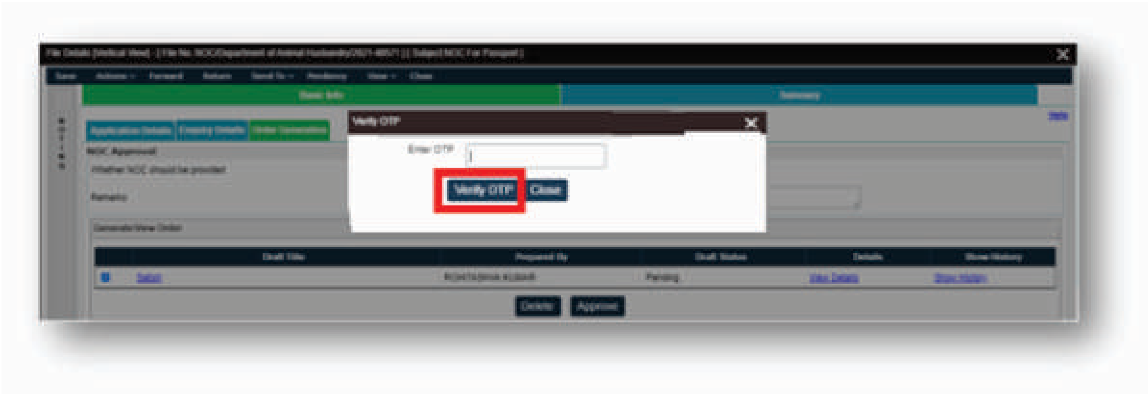

शेष अन्य प्रकार की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन एवं जारी करने की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही है।

9.5 अनापत्ति प्रमाण पत्र मॉड्यूल से संबंधित सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ's)

प्रश्न राजकाज में अनापत्ति प्रमाण पत्र मॉड्यूल तक कैसे पहुचे?

उत्तर राजकाज में स्टोर मॉड्यूल पर पहुचने के लिए Employee Corner में जाकर NOC पर क्लिक करें।

प्रश्न कितने प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र राज–काज के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर राज–काज से चार प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा सकते है :–

- पासपोर्ट बनवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
- विदेश यात्रा पर जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
- प्रतियोगी परिक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
- उच्च शिक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रश्न पहले से बनी हुई अनापत्ति प्रमाण पत्र की Hierarchy कैसे देखी जा सकती है ?

उत्तर यदि आपकी Hierarchy पहले से बनी हुई है तो वह आपको "Manage Hierarchy Self" विकल्प पर क्लिक करने पर वही दिखाई दे देगी।

प्रश्न अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए Hierarchy कैसे बनाई जा सकती है?

उत्तर अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके अकाउन्ट में "Manage Hierarchy Self" विकल्प का उपयोग करके आप अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए Hierarchy बना सकते है।

प्रश्न यदि आपको Employee Corner में NOC का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है ?

उत्तर आप अपने Admin Department (IT Cell) में NOC Node के लिए आवेदन करें।

प्रश्न अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है ?

उत्तर अनापत्ति प्रमाण पत्र आप अपने अकाउन्ट से "Employee Corner" विस्तार कर "NOC" विकल्प का उपयोग कर "Apply for Noc" पर Click करें, और अब आपको जिस प्रकार कि NOC के लिए आवेदन करना है उस विकल्प का उपयोग करें।

प्रश्न क्या आवेदन कि गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिए कोई विकल्प है?

उत्तर आगे दिए गये क्रम के अनुसार Employee Corner>>NOC>>Cancel NOC Request बटन पर क्लिक करे।

प्रश्न आवेदन कि गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को किस प्रकार से ट्रेक किया जा सकता है ?

उत्तर आगे दिए गये क्रम के अनुसार Employee Corner>>NOC>> Track NOC - self बटन पर क्लिक करे।

प्रश्न यदि आपको "Manage Hierarchy Self" का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है ?

उत्तर आप अपने Admin Department (IT Cell) में "Manage Hierarchy Self" विकल्प के लिए आवेदन करें।

प्रश्न पासपोट बनवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र में परिशिष्ट -A (Annexure-A) व परिशिष्ट - G (Annexure-G) का क्या उपयोग है ?

उत्तर Annexure-A का उपयोग नया पासपोर्ट बनवाने हेतु।

Annexure-G का उपयोग पुनः पासपोर्ट उपलब्ध करवाने हेतु।